



न्यायालय:- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी III/निगरानी/सिंगरौली/2017/2972

भगवानदास पुत्र बुधर तेली

निवासी ग्राम चन्द्रावल तहसील व जिला
सिंगरौली म0प्र0

श्री S.P. Dhondaji,
द्वारा आज दि. 28/08/17 को
प्रस्तुत

--- आवेदक

विरुद्ध

कलक ऑफ कोर्ट 28-8-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म0प्र0 शासन

--- अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959
न्यायालय नायव तहसीलदार सिंगरौली जिला सिंगरौली के प्र.क.
98/अ-6/1991-92 में पारित आदेश दिनांक 03.03.1993 के
विरुद्ध जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :-

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य:-

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि, ग्राम चन्द्रावल तहसील व जिला सिंगरौली के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा नायव तहसीलदार सिंगरौली के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 115-116 के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से प्रकरण क्रमांक 98/अ-6/1991-92 पर पंजीबद्ध किया गया। विधिवत उद्योषणा जारी की गई आपत्तीयां आहुत की गई समयावधि में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं हुई प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम पिडरवाह तहसील सिंगरौली की भूमि आराजी सर्वे नं. 72/9 रकवा 8.50, 230/4 रकवा 2.20 एकड़ कुल रकवा 11.50 एकड़ वर्ष 1982 से 87 व 88 तक अंकित है।

भूराजस्व/२११०५

67

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक

III/निग०/सिंगरीली/भूरा.।२०१७/२९७२

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों के हस्ताक्षर
06/2/19	<p>इस प्रकरण में दिनांक 24/9/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी नामण नहसीलदार सिंगरीली के प्रकरण क्रमांक 98/अ-6/1991-92 में पारित आदेश दिनांक 03/03/1993 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू०राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला सिंगरीली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 29/4/19 को कलेक्टर जिला सिंगरीली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	

सदस्य 6/2/19

AS